



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 20.02.21

धमकी देकर रंगदारी माँगने वाले अभियुक्तगण 02 तमन्चा .315 बोर एवं 04 जिन्दा कारतूस.315 बोर के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल आदेशानुसार चलाये गये वाँछितो के विरुद्ध अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के सफल पर्यवेक्षण में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट टीम गौतमबुद्धनगर मय उ0नि0 जितेन्द्र कुमार की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर फफराना रोड मोदीनगर से धमकी देकर रंगदारी माँगने वाले अभियुक्तगण (1) ललित @ लप्पा पुत्र नरेश कुमार निवासी गली नं ,3 0ब्रहमपुरी ,फफराना रोड, मोदी नगर ,(2) दिपांशु कुमार @ अक्की पुत्र मुकेश कुमार निवासी कुटी रोडगंगा विहार कालोनी, मुरादनगर, थाना मुरादनगर, , गाजियाबाद 02 तमन्चा .315 बोर एवं 04 जिन्दा कारतूस.315 बोर के साथ दिनांक 19.2.21 समय -19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। इस क्रम में थाना हाजा पर (1)मु0अ0स0 -148/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम- ललित उर्फ लप्पा , (2)मु0अ0स0 -149/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम- दीपाशु कुमार उर्फ अक्की , पंजीकृत है।

अपराध करने का तरीका - अभियुक्त गणो द्वारा मोदीनगर व्यापारी विनोद जैन पुत्र सुमित जैन निवासी सूरत सिटी फफराना रोड मोदीनगर एवं भाई दीपक जैन को फोन से धमकी देकर रंगदारी माँगना। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर पूर्व से ही मु0अ0स0 135/21 धारा 507.386 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद पंजीकृत है।

संक्षिप्त विवरण - पुलिस द्वारा तलाश अपराधी के दौरान मुखबिर की सूचना पर फफराना रोड से 02 नफर अभियुक्त गण उपरोक्त को मय 02 तमन्चा .315 बोर एवं 04 जिन्दा कारतूस.315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गण थाना हाजा के मु0अ0स0 135/21 धारा 507.386 भादवि में वाँछित थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- (1) ललित @ लप्पा पुत्र नरेश कुमार निवासी गली नं ,3 0ब्रहमपुरी ,फफराना रोड, मोदी नगर ,
- (2) दिपांशु कुमार @ अक्की पुत्र मुकेश कुमार निवासी कुटी रोडगंगा विहार कालोनी, मुरादनगर, थाना मुरादनगर, , गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1.उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट टीम गौतमबुद्धनगर
- 2.उ0नि0 जितेन्द्र कुमार 3.उ0नि0 सौरभ कुमार 4. का0652 अशरफ अली

बरामदगी का विवरण -

- (1)01तमचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बनाम- ललित उर्फ लप्पा उपरोक्त
- (2)01तमचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बनाम- दीपाशु उर्फ अक्की उपरोक्त

पंजीकृत अभियोग का विवरण- -

बनाम- ललित उर्फ लप्पा

- 1.मु0अ0स0 - 148/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मोदीनगर गाजियाबाद
- 2.मु0अ0स0 135/21 धारा 507.386 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद
- 3.699/15 धारा 60 आबकारी अधि0 419.420.467.468.471.272 भादवि
- 4.991/19 धारा 452.323.504.506 भादवि SC/STACT थाना मोदीनगर गाजियाबाद

बनाम- दीपाशु कुमार उर्फ अक्की

- 1.मु0अ0स0 - 149/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मोदीनगर गाजियाबाद
- 2.मु0अ0स0 135/21 धारा 507.386 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद



धोखाधडी करने वालो के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 02 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री गोपाल कृष्ण शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर नीरू गुप्ता व भावुक गुप्ता की सम्पत्ति को छद्मभेष में फोर्जरी करके इकरारनामा व पावर आफ अटोर्नी आदि पंजीकृत कराने वाले केस सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.नितिन चौहान पुत्र आमोद चौहान नि0 कैलाश पार्क अर्थला मोहननगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 2. पार्थ प्रतिम बिस्वास पुत्र नीलरत्न बिस्वास निवासी मेन श्याम पार्क 120 गली नं0 4 थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को पीडब्लूडी गेस्ट हाउस के पास से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि0 दि0 19/02/2021 को समय 19.25 बजे गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण -

थाना हाजा के मु0अ0स0 1799/18 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि व मु0अ0सं0 164/21 धारा 420/406/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभि0 की धरपकड हेतु उ0नि0 श्री गौरव कुमार सिंह मय हमराही कर्म0 के तलाश वांछित अपराधी व मुकदमा विवेचना में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर नीरू गुप्ता व भावुक गुप्ता की सम्पत्ति को छद्मभेष में फोर्जरी करके इकरारनामा व पावर आफ अटोर्नी आदि पंजीकृत कराने वाले केस सम्बन्धित अभियुक्तगण नितिन चौहान व पार्थ प्रतिम बिस्वास उपरोक्त को पीडब्लूडी गेस्ट हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.नितिन चौहान पुत्र आमोद चौहान नि0 कैलाश पार्क अर्थला मोहननगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद
2. पार्थ प्रतिम बिस्वास पुत्र नीलरत्न बिस्वास निवासी मेन श्याम पार्क 120 गली नं0 4 थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1.मु0अ0स0 1799/18 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद बनाम नितिन चौहान व पार्थ प्रतिम बिस्वास
2. मु0अ0सं0 164/21 धारा 420/406/467/468/471 भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद बनाम नितिन चौहान



थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के एक अभियुक्त को आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर के साथ किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधी / माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा दो दिन पहले हुई हत्या के अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

दिनांक 18/02/2021 को रात्रि 1.30 बजे ग्राम जावली में महिला की हत्या करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 71/21 धारा 302 भादवि में त्वरित कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्त आशीष पुत्र बलजीत नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त नें पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा शराब के नशे में तमंचे से गोली चल गयी थी जिससे उसकी पत्नी रीता की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 76/21 धारा 3/25 एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

आशीष पुत्र बलजीत नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 71/21 धारा 302 भादवि थाना टीला मोड
2. मु0अ0सं0 76/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना टीला मोड



दो नफर शातिर वांछित अभियुक्त मय 02 अदद नाजायज छुरी, 02 अदद मोबाईल/एक अदद काले रंग का पर्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 03 विजिटिंग कार्ड, 02 पासपोर्ट साइज फोटो व 3420/- रुपये नगद के गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 20.02.21 को प्रभारी निरीक्षक श्री अशोकपाल सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 श्री लोगेश कुमार व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 77/21 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त 1- साजन पुत्र शाहिद निवासी ग्राम भिवानीपुर थाना सहसवान जिला बदायू उम्र-22 वर्ष 2- सारिक पुत्र इतर निवासी ग्राम नदाईल थाना सहसवान जिला बदायू उम्र-21 वर्ष को सदभावना कट लोहे के पुल की तरफ से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका - अभियुक्तगण द्वारा लूट व चोरी कर आर्थिक धन अर्जित करना। अभि0गण के कब्जे से 02 अदद नाजायज छुरी, 02 अदद मोबाईल/एक अदद काले रंग का पर्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 03 विजिटिंग कार्ड, 02 पासपोर्ट साइज फोटो व 3420/- रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0-77/21 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी गा0बाद, से बरामद होना।

नाम पता अभियुक्त -

- (1) साजन पुत्र शाहिद निवासी ग्राम भिवानीपुर थाना सहसवान जिला बदायू
- (2) सारिक पुत्र इतर निवासी ग्राम नदाईल थाना सहसवान जिला बदायू

बरामदगी का विवरण:-

1. दो अदद नाजायज छुरी,
- 2- दो अदद मोबाईल
- 3-एक अदद काले रंग का पर्स,
- 4-आधार कार्ड,
- 5-ड्राइविंग लाइसेंस
- 6-तीन विजिटिंग कार्ड अलग अलग नाम के
- 7- दो पासपोर्ट साइज फोटो व 3420/- रुपये नगद

पंजीकृत अभियोग अभि० साजान-

1. मु०अ०स० 77/21 धारा धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
2. मु०अ०स० 82/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा०बाद

पंजीकृत अभियोग अभि० सारिक-

- 1- मु०अ०स० 77/21 धारा धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- 2- मु०अ०स० 83/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा०बाद



एक नफर अभि० मय 1050 नशीली गोलिया (एलप्राजोलम), 02 मोबाइल चोरी सहित गिरफ्तार

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे आप्रेशन ABC के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि० 20.02.21 को अतिरिक्त निरीक्षक श्री अशोकपाल सिंह थाना मसूरी गा०बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब चैकिंग के दौरान उ०नि० श्री अनुराग सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त राहुल पुत्र बिजेन्द्र निवासी दिल्ली धर्म कांटा के पीछे मायापुरम थाना मसूरी गा०बाद को 1050 नशीली एलप्राजोलम गोलियां व चोरी के 02 अदद मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु०अ०स० 80/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व मु०अ०स०-81/21 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत किया गया। बरामद शुदा एक मोबाइल वीवो मु०अ०स०-107/21 धारा 379 भादवि थाना कोशाम्बी से सम्बन्धित है।

अपराध करने का तरीका – अभियुक्त द्वारा चोरी के मोबाइल एवं नशीली गोलिया बेचकर आर्थिक धन लाभ अर्जित किया जाता है। जिसको 1050 अलप्राजोलम नाजायज नशीली गोलियो मय 02 अदद मोबाइल चोरी के साथ उ०नि० अनुराग सिंह मय टीम द्वारा समय करीब 02.00 बजे घनश्याम फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। बरामद शुदा एक मोबाइल वीवो थाना कोशाम्बी के मु०अ०स० 107/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है।

नाम पता अभियुक्त राहुल

(1) राहुल पुत्र बिजेन्द्र निवासी दिल्ली धर्म कांटा के पीछे मायापुरम थाना मसूरी गा०बाद।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-1050 नशीली एलप्राजोलम गोलियां
- 2- दो अदद(सैमसंग/वीवो) मोबाइल

पंजीकृत अभियोग-

3. मु०अ०स० 80/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
4. मु०अ०स० 81/21 धारा 411/414 भादवि थाना मसूरी गा०बाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल

- 1- मु०अ०स०-141/18 धारा 379/411 भादवि थाना मसूरी गा०बाद
- 2-मु०अ०स०-143/18 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा०बाद
- 3-मु०अ०स०-145/19 धारा 380 भादवि थाना मसूरी गा०बाद
- 4-मु०अ०स०-146/19 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना मसूरी गा०बाद
- 5-मु०अ०स०-147/19 धारा 25 ए एक्ट थाना मसूरी गा०बाद
- 6- मु०अ०स० 80/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
- 7-मु०अ०स० 81/21 धारा 411/414 भादवि थाना मसूरी गा०बाद
- 8-मु०अ०स० 107/21 धारा 379 भादवि थाना कोशाम्बी गाजियाबाद।



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा आबकारी टीम की मदद से एक शराब तस्कर को 105 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा आबकारी टीम गाजियाबाद की मदद से मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.02.21 को समय करीब 16.40 बजे, पाइप लाईन रोड राहुल गार्डन खाली प्लाट हल्का ओपी लोनी बोर्डर से एक अभियुक्त गोलू पुत्र बनवारी लाल निवासी बन्द फाटक विट्टू वाली गली राहुल गार्डन थाना लोनी बोर्डर गा0बाद को मय 105 पच्चे देशी शराब संतरा हरियाणा मार्का नायायज के गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 109/021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अभि0 को जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. गोलू पुत्र बनवारी लाल निवासी बन्द फाटक विट्टू वाली गली राहुल गार्डन थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।

अभियुक्त गोलू का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 109/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।

अभि0 गोलू उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

105 पच्चे देशी शराब संतरा हरियाणा मार्का नायायज बरामद ।



थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में दि0-20/02/2021 को मादक पदार्थ बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 1 किलो 2 सौ ग्राम डोडा पाउडर व एक चाकू बरामद

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक-20/02/2021 को शान्ति व्यवस्था / संदिग्ध वाहन व व्यक्ति चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत शिप्रा माल के पीछे से एक अभियुक्त प्रिंस बताया जिसके कब्जे से एक किलो 200 ग्राम डोडा पाउडर व एक चाकू नाजायज बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम/पता

प्रिंस पुत्र नत्थू सिंह निवासी बी-3/413 नन्दनगरी दिल्ली

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 237/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

एक किलो 200 ग्राम डोडा पाउडर

एक चाकू



थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को दो चोरी के मोबाईल व एक मो0सा0 फर्जी नम्बर प्लेट के सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधी वं माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा प्रचलित अभियान की कार्यवाही के दौरान को एक नफर अभियुक्त को दो चोरी के मोबाईल व एक मो0सा0 फर्जी नम्बर प्लेट के सहित किया गिरफ्तार गिरफ्तार किया।

दिनांक 19.2.2021 को समय 23.15 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान भौपुरा तिराहा से एक नफर अभियुक्त (1) दीपक पुत्र गोपीराम नि0 एफ ब्लाक 26.05 नियर दीप सरस्वती स्कूल ,गंगा विहार गोकुलपुरी ,शाहदरा दिल्ली को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त दीपक उपरोक्त के कब्जे से दो चोरी के मोबाईल व एक मो0सा0 फर्जी नम्बर प्लेट के साथ बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 75/21 धारा 414 /482 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

दीपक पुत्र गोपीराम नि0 एफ ब्लाक 26,05 नियर दीप सरस्वती स्कूल ,गंगा विहार गोकुलपुरी ,शाहदरा दिल्ली

अभियुक्त से बरामदगी –

1. दो चोरी के मोबाईल रियल मी 3 PRO रंग नीला IMEI NO. 861488044539035 व 86148804439087 व एक कीपैड सैमसंग रंग गोल्डन IMEI NO. 356333099068301 व 356334099068309
2. एक मो0सा0 जिसपर फर्जी न0 प्लेट DL7SBE1537 ,चेसिंस नम्बर MBLHAW088KHL00141

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

मु0अ0सं0 75/21 धारा 414/482 भादवि बनाम दीपक उपरोक्त थाना टीला मोड गाजियाबाद



ऑपरेशन स्माईल में एक गुमशुदा लडका सकुशल बरामद

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कला निधि नैथानी के निकट निर्देशन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय अंशु जैन के कुशल नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र से गुमशुदा/अपहर्ता के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसमें प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम, गाजियाबाद की टीम द्वारा दिनांक 20.02.2021 को थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा कट से एक गुमशुदा आर्यन मैसी (उम्र लगभग 17 वर्ष) को चौकी प्रभारी नीतिखंड उ0नि0 श्री संदीप कुमार द्वारा बरामद कर सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

घटना का संक्षिप्त:- दिनांक 19.02.2021 को वादी श्री राजीव मैसी पुत्र श्री रनजीत मैसी निवासी 577 नीतिखंड-3 थाना इंदिरापुरम गा0बाद द्वारा थाना इंदिरापुरम पर अपने लडके आर्यन मैसी के घर से बाहर घूमने निकलने व वापस न आने के सम्बंध में अ0स0-228/2021 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री संदीप कुमार द्वारा की गयी। उ0नि0 श्री संदीप कुमार द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद व सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार कराकर मात्र 24 घंटे में अपहर्त को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया जिसकी स्थानीय लोगों व परिजनों द्वारा पुलिस द्वारा किये गये इस सराहनीय कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की है ।

